न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 128/2017
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक – 04/06/2018

अनवान

1. रामलाल पिता हरचन्द बोला(रेगर) निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण लाल पिता गोकलचन्द रेगर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपली डोडियान पटवार हल्का पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सीमा में प्रार्थी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की आराजी संख्या 909 रकबा 03–16 बीघा है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजी संख्या 910 के पश्चिम में विपक्षी की आराजी संख्या 907 व 908, 2259/909 स्थित होकर उक्त आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 के पश्चिमी पाली पर स्थित होकर आराजी संख्या 909 में रास्ता जाता है तथा आराजी संख्या 907 के उत्तर में सरकारी नहर निकली हुई है। प्रार्थी अपने आराजी संख्या 907 मे आने जाने, हल बैलगाडी व ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एंव काश्त करने हेतू आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 की पश्चिमी पाली पर होते हुए अपनी आराजी संख्या 909 में प्रवेश कर रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग कर हल बैलगाडी व ट्रेक्टर इत्यादि आदि काश्त करने हेतू साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है जो अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वघ्न रूप से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है। आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 मे वर्तमान मे विपक्षी के नाम पर राजस्व रेकार्ड

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

में द[illegible] होने व कब्जे मे होने से विपक्षी जबरन अपने भुजबल के आधार पर प्रार्थी की उक्त कादिमी रास्ते का उपयोग उपभोग मे व्यवधान बाधा रूकावट बाधा कारित करते है तथा प्रार्थी को जबरन अपनी आराजी संख्या 909 के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य करने मे रास्ते मे आने जाने हेतू रूकावट बाधा कारित करते है तथा प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी संख्या 909 में आने जाने हेतू उक्त कदिमी रास्ते के अलाव कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नही हैं। विपक्षी द्वारा उक्त रास्ते को जबरन बाड व कटीली छडिया लगाकर रास्ता बंद कर दिया है या हांक कर फसल इत्यादि काश्त कर लेते है इस प्रकार प्रार्थी का उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे आये दिन भारी व्यवधान कारित करते रहे है। तथा आज भी वर्तमान मे भी प्रार्थी का रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपने खेतो की हकांई बुवाई नही कर पा रहा है। तथा विपक्षीगण प्रार्थी को कहते है रेकार्ड में कोई रास्ता नही है इसलिऐ हम तेरे को हमारे खेत मे होकर नही आने जाने देंगे। जबकि प्रार्थी के खेत मे जाने का यही एक मात्र नजदिकी रास्ता है तथा विपक्षी प्रार्थी का सगा भाई होकर आराजी संख्या 908 व 2259/909 प्रार्थी व विपक्षी की मौरूसी जायदाद होने के कारण आपस में भाई बटवाडे से प्रार्थी व विपक्षी के बीच बंटवाडा हो चुका है जिस कारण से आराजीयात का अलग अलग नम्बर दर्ज हो चुके है। जबकि प्रार्थी शुरू से ही आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 के पश्चिमी पाले से होते हुए अपनी आराजी संख्या 909 के अन्दर प्रवेश कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने आराजी संख्या 909 में आने जाने हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतू भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतू आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 के पश्चिमी पाले से होते हुए अपनी आराजी संख्या 909 के अन्दर प्रवेश करता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खेत के उपयोग उपभोग से वचित हो रहा है। न्यायालय द्वारा रास्ते के एवज मे 20 फीट चौडाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसको प्रार्थी तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है । उक्त कदिमी रास्ते को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 मे वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस मे रास्ता के रूप में इन्द्राज

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा

कराये जाना न्याय हित मे नितान्त आवश्यक हैं । जिस निमित प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की आराजी संख्या 909 में आने जाने हेतू आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 से प्रवेश करने हेतू प्रार्थी आये दिन लडाई झगडा व बाधा कारित करता रहता है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी प्रार्थी को लगातार रास्ते मे बाधा कारित कर रहे है तथा आज से दस दिन पूर्व प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपनी आराजी मे ट्रेक्टर लेकर हांकने के लिए जाने लगे तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बाड व कंटीली छडिया लगाकर रास्ता बंद कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अत प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 909 में आने जाने हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतू भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतू आराजी संख्या 907, 908 व 2259/909 के पश्चिमी पाले से होते हुए अपनी आराजी संख्या 909 तक 20 फीट चौडा व सम्पूर्ण लम्बाई मे प्रवेश करने तक रास्ता विपक्षी से दिलाया जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। उक्त रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसको प्रार्थी तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है तथा प्रार्थी द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा पत्रावली में तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट चाही गयी।

पत्रावली मौका रिपोर्ट के इन्तजार में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत पिपली डोडियान पर रखा गया। दौराने शिविर पटवारी हल्का पिपली डोडियान द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर मय नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी के प्रस्तुत की गयी कि वादी रामलाल पिता हरचन्द रेगर निवासी पिपली डोडियान के द्वारा अपनी आराजी संख्या 909

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रकबा 03–16 बीघा पर आने जाने हेत रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु उक्त रास्ता नितान्त आवश्यक है केवल सुविधा के लिये नही है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी आराजी संख्या 909 में जाने हेतु अन्य खातेदार नारायण पिता गोकल रेगर की कृषि भूमि आराजी संख्या 907 व 908, 2259/909 की पश्चिमी पाली से 02 गट्ठा (लगभग 13 फिट) रास्ता चाहता है। आराजी संख्या 909 में आने जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता आराजी संख्या 907 व 908 तथा 2259/909 की पश्चिमी पाली से ही मौजूद है। वादी के खेत में जाने हेतु आराजी संख्या 907 व 908 एवम 2259/909 की पश्चिमी पाली से 02 गट्ठा चौडा रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल आराजी संख्या 907 में से 00–00–01 बीघा एवं आराजी संख्या 908 में से 00–03–10 बीघा एवम् आराजी नम्बर 2259/909 रकबा 0–01–10 बीघा प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 00–06–00 बीघा है। प्रस्तावित रास्ते की स्वीकृति करते समय किसी प्रकार से पेड/फसल/निर्माण प्रभावित नही होते है।

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड मय पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 909 पर आने जाने हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतू विपक्षी की आराजी संख्या 907 व 908 की पश्चिमी पाली के रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य नजदीकी वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम पिपली डोडियान स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 909 पर आने जाने हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतू पटवारी रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार विपक्षी की आराजी संख्या 907 में से 00–00–01 बीघा एवं आराजी संख्या 908 में से 00–03–10 बीघा एवम् आराजी नम्बर 2259/909 रकबा 0–01–10 बीघा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कुल रकबा 00—06—00 बीघा भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रास्तें के पृथक से नवीन नम्बर अंकित किये जावें। उक्त प्रस्तावित रास्तें के एवज में प्रार्थी विपक्षी के नियमानुसार रास्ते की प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि अदा करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प पिपली डोडियान पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा